

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

76	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1813/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत, सल्ट के अन्तर्गत खैरना रानीखेत रामनगर राज्य मार्ग सं.-14 के महान से गनियाद्योली प्रभाग को 1.50 लेन में परिवर्तित कर सुधारीकरण का कार्य।	70.00	497.88	0.10
77	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1816/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत ड्यौड़ाखाल-सौलाधार से मंगरा-सौला- नाकुड़ा तक होते हुए ग्राम मिलोती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	27.19	0.10
78	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1810/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम नैकणा से बादला वाया बाजन मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	9.00	47.26	0.10
79	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1814/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत सौगढ़ पन्तगांव चमड़खान सगीना नौगांव लछमौला लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	15.75	0.10
80	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1791/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत कमराड मानिला मन्दिर से शिलंग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	26.26	0.10
81	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1789/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा-रहड़धार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.00	31.51	0.10
82	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1805/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत बमनचौना से बादला नैल-तल्ला पाली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	9.00	47.26	0.10
83	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1788/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत दोला बाजन मोटर मार्ग से बधाण सित्तोली मोटर मार्ग तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.50	34.14	0.10
84	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1829/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत देवरापानी से मन्दिर होते हुए सिगरिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.50	17.78	0.10
85	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1819/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत बैना-थकुलाड़ी प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम कोटार तक 3.00 किमी. सम्पर्क मार्ग एवं पुल का निर्माण कार्य।	3.00	14.24	0.10
86	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1827/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत चौनलिया से कोट गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	15.81	0.10
87	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1787/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत वृद्धकेदारेश्वर मन्दिर पर झूला पुल का निर्माण कार्य।	0.100	6.79	0.10
88	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1908/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-द्वाराहाट के अन्तर्गत खीड़ा धराखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	23.90	0.10

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता
नि. खण्ड जो. नि. वि.

-10-

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

89	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1518/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत भण्डारगांव मेंल्डा से कुनथ्याड़ी दूनागिरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 9 मी. विस्तार आर.सी.सी. मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	6.00+ 9 mtr.	32.22	0.10
90	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1798/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत मौंसी पुल पार से गोगता परथोला अफो (कैदार) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	9.00	43.02	0.10
	योग:-	509.15 + 30 Brg	4404.25	9.00

(कुल ₹ नौ लाख मात्र)

अधीक्षक अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा

(ए0एस0पागती)
उप सचिव

प्रक्रांक 255/199 सी. - 01/16

दि. 29.01.2016

प्रतिलिपि अधिशासी अति प्रस्ता प्रान्तीय/निमिग खण्ड, लो.नि.वि.
अल्मोड़ा/राजीवराज को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि इस आपत्ति के प्राविधिक करी है।

प्रतिलिपि इस आपत्ति के कसट करी है।

प्रतिलिपि इस आपत्ति के मुख्य भेजी होकरा की पठावली है।

21/1/16

अधीक्षक अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा

प्रतिलिपि - ① सम्स्त सहायक अभियन्ता नि.खण्ड
लो.नि.वि. राजीवराज।

② स्वपरीय लोकाचार / पञ्च सहायक

③ कनिष्ठ अभियन्ता (प्र.)
सूचनाय प्रेषित।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता

नि. खण्ड लो.नि.वि.
रा.खण्ड

29/1/2016